पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 155/2021

1. रामकिशन पुत्र हजारी जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।

:– वादी

ब ना म

1. प्रवीण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
2. रामेश्वरी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
3. प्रियका पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
4. शांती पत्नी अनील कुमार जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
5. मोनिकारानी पुत्री अनील कुमारजाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
6. बिमला पुत्री हजारी जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
7. संदीप लाम्बा पुत्र चन्द्रपति पुत्री हजारी जाति जाट निवासी भिवानी त0 व जिला भिवानी।
8. अंजूबाला पुत्री चन्द्रपति पुत्री हजारी जाति जाट निवासी भिवानी त0 व जिला भिवानी।
9. राजस्थान सरकार जरिये त0 राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 370/348 के खसरा सं0 292 की 3.9460है0 खसरा सं0 576 की 5.0970है0 कुल 9.0430है0 बारानी खातेदारी में वादी के पिता हजारी के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी के पिता हजारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामकिशन व प्रतिवादी सं0 1 प्रवीण पुत्र रामचन्द्र प्रतिवादी सं0 4 शांति पत्नी अनील कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं0 5 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में व प्रतिवादी सं0 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि बैक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.07.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) सत्यनारायण
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

ायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

करण सं0 : 155/2021

1. रामकिशन पुत्र हजारी जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।

:- वादी

ब ना म

1. प्रवीण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
2. रामेश्वरी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
3. प्रियका पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
4. शांती पत्नी अनील कुमार जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
5. मोनिकारानी पुत्री अनील कुमारजाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
6. विमला पुत्री हजारी जाति जाट निवासी साहुवाला ।। त0 व जिला सिरसा।
7. संदीप लाम्बा पुत्र चन्द्रपति पुत्री हजारी जाति जाट निवासी भिवानी त0 व जिला भिवानी।
8. अंजूबाला पुत्री चन्द्रपति पुत्री हजारी जाति जाट निवासी भिवानी त0 व जिला भिवानी।
9. राजस्थान सरकार जरिये त0 राजस्व भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल **: वादी**

वकील श्री सतवीर बैनीवाल **: प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

निर्णय **दिनांक :** 28.07.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाउ के खाता स0 370/348 के खसरा सं0 292 की 3.9460है0 खसरा सं0 576 की 5.0970है0 कुल 9.0430है0 वारानी खातेदारी में वादी के पिता हजारी के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के परदादा मंगतु की खातेदारी हुआ करती थी। मंगतु के

Scanned with CamScanner

बाद उक्त भूमि को वादी के पिता हजारी ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 8 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण सं0 9 स्टेट की ओर से जवाव दावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडव्ल्यु 1 रामकिशन पुत्र हजारी के वयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी रोही कणाउ प्रदर्श 1 अनापति पत्र हजारी मृत्यु प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण हजारी प्रदर्श 3 व 4 मुत्यु प्रमाण पत्र रामप्यारी प्रदर्श 5 वारिस प्रमाण पत्र रामप्यारी प्रदर्श 6 मृत्यु प्रमांण पत्र श्योकरण व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 व 8 मृत्यु प्रमाण पत्र रामचन्द्र व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 व 10 वारिस प्रमाण पत्र अनिल व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 11 व 12 मृत्यु प्रमाण पत्र चन्द्रपति व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 13 व 14 जमावंदी साहुवाला वावत विरासतन इंतकाल हजारी प्रदर्श 15 प्रदर्शित करवाये।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाउ प्रदर्श 1 अनापति पत्र हजारी मृत्यु प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण हजारी प्रदर्श 3 व 4 मुत्यु प्रमाण पत्र रामप्यारी प्रदर्श 5 वारिस प्रमाण पत्र रामप्यारी प्रदर्श 6 मृत्यु प्रमाण पत्र श्योकरण व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 व 8 मृत्यु प्रमाण पत्र रामचन्द्र व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 व 10 वारिस प्रमाण पत्र अनिल व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 11 व 12 मृत्यु प्रमाण पत्र चन्द्रपति व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 13 व 14 जमाबंदी साहुवाला बाबत विरासतन इंतकाल हजारी प्रदर्श 15 प्रदर्शित करवाये जिसमें प्रदर्श 3 व 4 वारिस प्रमाण के अनुसार हजारी के वाद में वर्णित के अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 15 से वादी के पिता हजारी की मृत्यु होना सावित है । वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 2 से 3 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं0 5 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में व प्रतिवादी सं0 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काविल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक कोर्ट)

Scanned with CamScanner

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 370/348 के खसरा सं0 292 की 3.9460है0 खसरा सं0 576 की 5.0970है0 कुल 9.0430है0 बारानी बातेदारी में वादी के पिता हजारी के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी के पिता हजारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामकिशन व प्रतिवादी सं0 1 प्रवीण पुत्र रामचन्द्र प्रतिवादी सं0 4 शांति पत्नी अनील कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं0 5 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में व प्रतिवादी सं0 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि बैक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहा(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner